न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 17/2024 तारीख रजू:–12.07.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2024/82

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. मुरली मनोहर यादव अहिर पुत्र स्व0 श्री मदनलाल यादव निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. शंकर यादव अहिर पुत्र पुत्र स्व0 श्री मदनलाल यादव निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. हरिनारायण यादव अहिर पुत्र स्व0 श्री मदनलाल यादव निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्योजी यादव अहिर पुत्र स्व0 श्री मदनलाल यादव निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. हेमराज यादव अहिर पुत्र स्व0 श्री मदनलाल यादव निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. राकेश पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण यादव अहिर, निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. सोनू पुत्री स्व0 श्री सत्यनारायण यादव धर्मपत्नि मेघराज यादव, वनस्थली निवाई, जिला टोंक (राजस्थान)
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लैण्ड होल्डर, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चौथ का बरवाड़ा ★ सत्यमेव जयते

उपस्थित:–

वकील प्रार्थी:–श्री पुरूषोत्तम लाल पारीक, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4:– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

निर्णय दिनांक:– 20.12.2024

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही ग्राम ईसरदा के स्थाई निवासी एवं काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की [illegible] खातेदारी की भूमियां ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है [illegible] जमाबन्दी में नया खाता संख्या 655 पुराना खाता संख्या 627 है। संयुक्त खातेदारी की उवत भूमि के खसरा नंबर निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 16:02:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म जमीन
1.	1545	0.09 है0	गै0मु0 रास्ता
2.	1554	0.91 है0	बारानी–1
3.	1555	0.25 है0	बारानी–1
4.	1556	0.03 है0	गै0मु0 रास्ता
5.	1569	0.06 है0	बारानी–1
6.	1573	1.21 है0	बारानी–1
7.	2540	1.11 है0	चाही A
8.	2549	0.05 है0	बंजड़
9.	2552	0.59 है0	चाही A
10.	2554	0.47 है0	चाही A
11.	2555	0.33 है0	चाही A
12.	2556	0.25 है0	चाही A
13.	2557	0.01 है0	गै0मु0 कुआं
14.	2558	0.04 है0	बंजड़
15.	2559	0.41 है0	चाही A
16.	2560	0.64 है0	चाही A
17.	2561	0.51 है0	चाही A
18.	715	0.07 है0	बारानी–1
19.	716	0.63 है0	बारानी–1
20.	717	2.22 है0	बारानी–1
21.	720	0.09 है0	बारानी–1
22.	721	1.55 है0	बारानी–1
कुल किता 22 कुल रकबा 12.33 हैक्टेयर			

उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 4 का सत्यनारायण की मृत्यु के उपरान्त 1/12–1/12 हिस्सा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के खसरा नंबर 2554, 2555, 2556, 2552, 2549 रोड साईड पर स्थित है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता खातेदार सत्यनारायण की मौजूदगी में उक्त संयुक्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा हुआ कि उक्त भूमि का विभाजन रोड साईड की लम्बी की लम्बी भूमि की पट्टी पूर्व पश्चिम लंबाई में 1/6 हिस्से यानि 2.055 है0 के हिस्से बनाकर प्रत्येक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की अपने अपने हिस्से की भूमि का हिस्सा देकर हमेशा–हमेशा के लिये विवाद खत्म कर देंगे। आये दिन इस भूमि बाबत् व इसके रास्ते को लेकर अपने भाईयों में विवाद होता रहता है, जिसके लिये यह बंटवारा किया गया है। प्रार्थी नंबर 1 परिवार का कर्ता है, ने कहा कि लिखा पढ़ी कर लेते हैं। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 श्यो[illegible] में लिखित में क्या बंटवारा करेंगे कि क्या लिखापढ़ी [illegible] यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण यादव व घासीलाल पुत्र [illegible] गांव के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मौजूद थे, जिनके सामने अप्रार्थीगण ने भी स[illegible]ति दी की अगर यह कह रहे हैं तो इनकी बात पर यकीन करों। इस कारण से यह बंटवारानामा की लिखापढ़ी नहीं हो सकी।

उपखण्ड अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 16:02:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार सत्यनारायण, जो कि हमारा सगा भाई था, का देहान्त लगभग 6–7 माह पूर्व हो गया है। उसकी मृत्यु की उपरान्त उनके नाम का नामान्तरकरण अभी तक उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम नहीं खुला है। इस कारण से मृतक के उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को दावे हाजा में मृतक सत्यनारायण के स्थान पर आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। सत्यनारायण की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा मृतक सत्यनारायण के वारिसान अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की नियत में भी बदयान्ति आ गई है और सत्यनारायण द्वारा किये गये बाहमी बंटवारे को मानने से स्पष्ट इंकार कर दिया है तथा कहा कि हम तो हमारी 1/6 भूमि रोड साईड पर ही लेंगे व रास्ता भी नहीं देंगे, तुम्हारे मर्जी आवे जो करो। अप्रार्थीगण श्योजी, हेमराज ने कहा कि सत्यनारायण की बातें सत्यनारायण के साथ ही गई। हम उस मौखिक बंटवारेनामे को नहीं मानते। हम भूमि की पूर्व पश्चिम लम्बी की लम्बी पट्टी नहीं करेंगे और हम जमीन रोड साईड पर ही लेंगें। अप्रार्थीगण कुल लोगों के बहकावे में आकर रोड साईड की भूमि पर ही कब्जा जमाना चाहते हैं एवं प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि में काश्त करने से रोकते हैं, जो कि नियम विरूद्ध है। उक्त वर्णित भूमि का नक्शा ट्रेस में भी रोड साईड की भूमियां स्थित है, जिन पर प्रत्येक खसरा नंबर पर प्रत्येक खातेदार का नियमानुसार कब्जा काश्त है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसका अभी तक विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण का रोड साईड पर नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रत्येक खसरा नंबर पर कब्जा है, जिसको अप्रार्थीगण जबरन हटाना चाहते हैं एवं काश्त करने से रोकना चाहते हैं तथा आवागमन से वंचित करना चाहते हैं और खातेदारी खेतों में उपयोग-[illegible] आराजीयात पर आने जाने में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, जिनका प्र[illegible] कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार [illegible] चौथ का बरवाड़ा को लैण्ड होल्डर होने की वहज से फोरी तौर से आवश्यक पक्षकार बनाया है। चूंकि तहसीलदार को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व 80 सीपीसी [illegible] नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जिसकी अवधि का इंतजार करने में प्रतिवादीगण मौके की स्थिति में परिवर्तन कर देंगे, जिससे दावे का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अतः उक्त वाद में बिना धारा 80 सीपीसी की नोटिस दिये धारा 80 (2) सीपीसी के तहत दावा पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर०टी० एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त वर्णित विवादित आराजीयात में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके पर राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधार उत्पन्न नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 16:02:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

करने से नहीं रोका बल्कि हम अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण काश्त करने से रोक रहे हैं, जिसका प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जवाब में जिस तरह उक्तानुसार बताया गया है, उस तरह है एव हम अप्रार्थीगण उसी के अनुसार काबिज है। रास्ता खुलासा है। खातेदारी के खेतों में आने जाने में प्रार्थीगण को कोई अवरोध नहीं है। दिनांक 02.07.2024 को किसी प्रकार की नवीन बंटवारे संबंधी बात नहीं हुई। अप्रार्थीगण ने कभी एलानिया नहीं कहा की रोड साईड की जमीन वो लेंगें। पहले इन खसरा नंबर के पश्चिम साईड में रोड नहीं था। अब नवीन रोड बन जाने से प्रार्थीगण की नीयत में बदलाव आ गया है और 30 वर्ष पूर्व किए गये बंटवारे से मुकर रहे हैं। प्रार्थीगण को कोई विनायदावा पैदा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 30 वर्ष पूर्व किये गये बंटवारे अनुसार काश्त कर रहे हैं। खसरा नंबर 2554, 2555, 2556, 2552 व 2549 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में रोड साईड में आया है। एक बार जब बराबर-बराबर भूमि का 30 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया है तो प्रार्थीगण मुकर नहीं सकते है। इन पांचों खसरा नंबरान को मिलाकर 1.6900 है0 भूमि ही होती है। प्रार्थना पत्र में 2.055 है0 भूमि गलत बताई है। प्रार्थीगण अब नये तरीके से बंटवारा नहीं करवा सकते। मौके पर जिस प्रकार काबिज है, उसी के अनुसार बंटवारा हो सकता है, क्योंकि 30 वर्ष से इसी प्रकार काश्त करते चले आ रहे हैं, इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है। बिना 80 सीपीसी के नोटिस के दावाया मय प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण ने इस तरह बंटवारा चाहा है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित दर्ज. खसरा आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदारी अनुसार 2554, 2555, 2556, 2552 व 2549 जो रोड साईड में स्थित है, में होकर समस्त भूमि का विभाजन रोड साईड से लम्बी कर भूमि की पट्टी पूर्व-पश्चिम लंबाई में किया जावे। प्रार्थना पत्र में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं चाहा है। अप्रार्थीगण ने 30 वर्ष पूर्व किये गये बाहमी बंटवारे को झूठे तथ्य रखकर नकार दिया। जवाब प्रार्थना पत्र में जिस तरह बंटवारा हुआ है, उसको छिपाया है। अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से में आई भूमि में तारबंदी, टीनपोश मकान व पक्का घर बना रखे हैं, उसका मूल्य किस तरह दिया जावेगा यदि बंटवारा पूर्व में नहीं होता तो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने हिस्से में विकास कार्य नहीं करवाते। लिहाजा वर्तमान में मौके पर बंटवारा हो रखा है, उसके अनुसार ही विधिवत बंटवारा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा न तो स्वयं करे, न ही किसी एजेन्ट से करावें, नही तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं सुविधा का

अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 16:02:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है, क्योंकि 30 वर्ष पूर्व विवादित आराजीयात का बंटवारा हो चुका है एवं उसके अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपनी मूल्यवान राशि को लगाकर पक्का कर लिया है। अतः जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे एवं वर्तमान में काबिज अनुसार बंटवारा जो 30 वर्ष पूर्व हुआ उसके अनुसार तकासमा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के अनुसार किया जावे।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं जवाब में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। मैने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन के संबंधमें ध्यानपूर्वक विचार किया।

4.1. **प्रथम दृष्टया केसः–** प्रार्थीगण द्वारा उनकी और अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी के विभाजन हेतु वाद दायर किया है। प्रार्थीगण विवादित आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्ड में बंटवारा कराने का विधिक अधिकार रखते हैं। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता सत्यनारायण के उनकी मौजूदगी में बाहमी बंटवारा होना बताया है एवं खसरा नंबर 2556, 2552 व 2549 जो रोड साईड पर स्थित है, उसका तत्समय [illegible] रोड साईड से पूर्व पश्चिम लम्बाई में 1/6 हिस्से की यही बनाया जाकर [illegible] बताया है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में उक्त बंटवारे अनुसार उनके [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा लगभग 30 वर्ष पूर्व बंटवारा होना स्वीकार किया है, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बंटवारे में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पश्चिम का हिस्सा देना बताया है। उभयपक्ष बाहमी बंटवारे में किस पक्ष का कौनसा हिस्सा तय किया था, इस पर सहमत नहीं है। बाहमी बंटवारे में अथवा वर्तमान में कौनसा हिस्सा किस पक्ष के कब्जे में है, यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष का निर्णय साक्ष्य/सबूतों के आधार पर ही हो सकेगा। इसलिये विशिष्ट भू–भाग को प्रार्थीगण के हिस्से में रखते हुए बंटवारा करने हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस नहीं पाया गया है।

अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलनः– उभयपक्षों द्वारा विवादित भूमि के [illegible] का कथन किया गया है। प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 16:02:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा अपने कब्जे के हिस्से में निर्माण करने/सुधार करने का भी कथन किया है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में उन्हे अधिक क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगणों के पक्ष में नहीं पाया गया है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 16:0[illegible] IST
Reason: SelfAttested